रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार 13 मार्च, 1997/22 फाल्गुन, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 2 जुलाई, 1996

संख्या एल0एस0जी0-12-25/72.—राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में हिन्दी में पृष्ठ 3953 में प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0-12-25/72, तारीख 9 सितम्बर, 1994 के साथ निम्नलिखित उपाबन्ध जोड़ा जाए, अर्थात् :—

उपाबन्ध "I"

हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाये, निदेशालय में लिपिक वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	लिपिक
2.	पदों की संख्या	4 (चार)

3.	वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं
4.	वेतनमान	(i) रु0 950-35-1160-40-1320-45-1500-50-1800 लिपिकों के लिए.—यह वेतनमान रुपये 1200—2130 (वरिष्ठ लिपिक) और रुपये 1500—2700 (कनिष्ठ सहायक) के वेतनमानों में रखे जाने वाले पदों को निकाल कर काडर में कुल पदों को दिया जाना है। (ii) रुपये 1200-40-1320-45-1500-50-2000-60-2060-70-2130 वरिष्ठ लिपिकों के लिए.—यह वेतनमान लिपिक के रूप में काडर में कम से कम पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् काडर में लिपिकों के पदों की कुल संख्या के 40 प्रतिशत को दिया जाना है और इन पदों के पदधारियों को वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा। (iii) रुपये 1500-50-2000-60-2060-70-2550-75-2700 कनिष्ठ सहायकों के लिए.—यह वेतनमान काडर में लिपिक और वरिष्ठ लिपिक के रूप में संयुक्त रूप से न्यूनतम दस वर्ष के सेवाकाल के पश्चात् काडर में लिपिकों के पदों की कुल संख्या के 40 प्रतिशत को दिया जाना है और इन पदों के पदधारियों को कनिष्ठ सहायक के रूप में पदाभिहित दिया जाएगा।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	18 से 35 वर्ष : परन्तु सीधी भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी की

हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए है और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.—1 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि यथास्थिति, पद (पदों) आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

टिप्पण.—2 अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आय सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।

(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्याय से द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक या 10+2 की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य।

(2) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति रखता हो।

परन्तु यह कि भर्ती के लिए टंकण का ज्ञान आवश्यक नहीं होगा, परन्तु चयनित अभ्यर्थियों को उनके अपने-अपने विभागों द्वारा विहित टंकण परीक्षा, बिना किसी विस्तार के उसकी नियुक्ति की अवधि से 6 मास की अवधि के भीतर अर्हित करनी होगी। इस प्रकार यदि कोई नियुक्त किया गया व्यक्ति उसकी नियुक्ति की 6 महीने की अवधि के भीतर टंकण परीक्षा पास करने में असफल रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

(3) ऐसे व्यक्तियों को टंकण सीखने के लिए छुट्टी अनुदत की जा सकेगी, यदि वे ऐसे स्थानों में तैनात किए हों, जहां टंकण की सुविधाएं उपलब्ध न हों ऐसी छुट्टी

		उनकी भविष्य में अनुज्ञेय छुटिटयों में समोयोजित की जाएंगी।
		(ख) वांछनीय अर्हताएं :
		हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8.	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएं : जैसा कि स्तम्भ 11 में विहित है।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10.	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा।	चतुर्थ श्रेणी के पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो दसवीं पास हो या जिन्होंने हिन्दी रतन सहित चयनित अंग्रेजी विषय के साथ दसवीं पास की हो और जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31-3-91) तक की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को शामिल करके नियमित सेवाकाल हो : परन्तु चतुर्थ श्रेणी के पद से प्रोन्नत पदधारी तब तक वरिष्ठ सहायक पद की अगली प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं समझे जाएगे जब तक वे उपरोक्त मद संख्या 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त नहीं कर लेते। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा-विहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी। (क) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार

	किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु उन सभी पदाधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हताएं सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों म विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी । परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार क लिए अपात्र हो जाता है वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जायेगा । **स्पष्टीकरण.**—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल प्रदेश स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों, या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । (ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी : परन्तु 31-3-1991 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरिष्ठता अपरिवर्तित रहेगा । टिप्पण.—2 जब कभी स्तम्भ 2 के अधीन पदों में बढ़ोतरी होती है तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जाएंगे ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है :— (क) भारत का नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास के लिए आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया, युगांडा, यूनाइटिड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जेयरे और इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथा-स्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभि-लिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

पी० एस० राणा,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।